प्रदेश के सांसदों ने भी इस बात को महसूस किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया जनपद से यदि अपराधों को कम करना है तो वहां निश्चय ही बहुत बड़ी कोई एक औद्योगिक इकाई लगानी चाहिए। कागज का कारखाना भी यहां चल सकता है। खाद का कारखाना लगाने की बात चल रही थी, एल्युमिनियम का भी कारखाना यहां बनाने की बात प्रकाश में आई, किन्तु केवल लोक सभा में और लोकसभा के बाहर चर्चा ही चली कोईकार्यवाही नहीं हुई।

ऐसी स्थिति में माननीय उद्योग मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र सैदपुर की बिगड़ी हुई स्थिति को देखें। वहां अविलम्ब कोई बड़ा उद्योग केन्द्र सरकार के बजट से स्थापित कराने की व्यवस्था करें। यदि शीघ्र कोई उद्योग लग सकता है तो पढ़े लिखे एवं अनपढ़ हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। निश्चय ही लोग अपने यहां काम करेंगे बेकारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे।

(v) HISSAR TEXTILE MILL.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Sir, more than 5000 workers of the Hissar Textile Mill, Haryana, have been rendered out of work as a result of the lockout declared by the management on 30th March, 1983, for an indefinite period. Sir, the owners, who are one of the biggest monopoly houses in the country have been following anti-labour policies for a long time, for which the workers were forced to go into a prolonged strike for 108 days in 1981, At that time the Chief Minister of Haryana brought about a settlement on May 8, 1981, in which it was decided that the quantum of D. A. entitlement of the workers will be finalised bilaterally within three months. The management, however, refused to settle the issue during the past two years. On the other hand, they dismissed 30 workers, suspended another 50 and issued charge sheets against hundreds of workers in order to terrorise them. The workers while agitating for a settlement approached the Labours Ministry of Haryana for intervention. The Ministry had fixed April 4 as the date for conciliation. The management instead of seeking a settlemeat has imposed this lockout violating various sections of Industrial Disputes Act.

Sir, indiscriminate flouting of labour laws by the owners of various Industries has become the order of the day. Therefore, I urge that the Government should immediately intervene for opening of the Mill and start immediate drosecution of the management if they refuse to do so.

(vi) FACILITES TO WORKERS ENGAGING IN BIDI MANUFACTURING IN MADHYA PRADESH

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अकेले मध्य प्रदेश के लगभग पांच लाख मजदूर बीड़ी बनाने का काम करते हैं तथा प्रमुख रूप से यह काम जबलपुर, दमोह तथा सागर ज़िलों में अधिक होता है। लगभग 25 लाख जनता की रोजी रोटी इस बीड़ी मज़दूरी से जुड़ी है।

इन मज़दूरों का शोषण लगातार; बहुत बड़े प्रमाण में बीड़ी कारखानों के मालिक करते हैं। उदाहरणार्थ, बीड़ी बनवाई की दर प्रति हजार 7.8711 पैसा शासन द्वारा निर्धारित करने के पश्चात भी मज़दूरों को पांच रुपये से अधिक नहीं मिलती, परन्तु खातों में पूरा रेट बताया जाता है।

केन्द्रीय कानून बीड़ी वर्क्स वैलफेयर फण्ड 1978 के नियम 41 के अन्तर्गत घरखाता व कारखाना खाता, बीड़ी श्रमिक को परिचय पत्र (आइडैंटिटी कार्ड) देने का प्रावधान है, परन्तु बीड़ी कारखाना मालिक इस पर अमल नहीं कर रहे हैं।